FIROZABAD POLICE
सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा

प्रेस नोट थाना फरिहा दिनांक 24-08-2025 जनपद फिरोजाबाद ।

थाना फरिहा पुलिस टीम द्वारा अपहरण कर हत्या करने से सम्बन्धित अभियोग मु0अ0सं0 141/25 धारा में वाछिंत 03 अभियुक्तगण 1.आशुतोष उर्फ अकिंत, 2.चिन्टू, व 3.गौरव माथुर को किया गया गिरफ्तार ।

- **थाना फरिहा पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 141/25 के मुख्य अभियुक्त विजय पुत्र जगदीश प्रसाद उर्फ जागन सिंह निवासी ग्राम बरथरा थाना फरिहा जनपद फिरोजाबाद को दिनाँक 22/08/2025 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जा चुका है ।**

थाना फरिहा क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 17.08.2025 को ग्राम बरथरा अम्बेडकर पार्क के सामने से स्वागेश उम्र करीब 22 वर्ष पुत्र स्व भँवरपाल को विजय पुत्र जगदीश प्रसाद उर्फ जागन सिंह अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले गया था । स्वागेश के घर वापस न लौटने पर दिनांक 19.08.2025 को वादिया श्रीमती अनीता देवी पत्नी भँवरपाल की तहरीरी सूचना के आधार पर थाना फरिहा पर मुकदमा अपराध सं0 141/25 धारा 140(1)/61(2) बीएनएस0 नामजद अभियुक्तगण के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निकट पर्यवेक्षण एवं सहायक पुलिस अधीक्षक /क्षेत्राधिकारी जसराना के कुशल नेतृत्व में मु0अ0सं0 141/25 में वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं स्वागेश की सकुशल बरामदगी हेतु 03 पुलिस टीमों का गठन किया गया था । थाना फरिहा पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 141 में नामजद अभियुक्त विजय पुत्र जगदीश उर्फ जगन सिंह को दिनाँक 22/08/2025 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है । अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा प्रयास किया जा रहा था । इसी क्रम में आज दिनांक 24-08-2025 को थाना फऱिहा पुलिस टीम द्वारा विवेचना के दौरान मु0अ0सं0 141/25 में प्रकाश में आए वांछित अभियुक्तगण 1. आशुतोष उर्फ अकिंत प्रधान पुत्र मनोज माथुर, 2. चिन्टू पुत्र लटूरी माथुर, व 3.गौरव माथुर पुत्र राजपाल को मुखबिर खास की सूचना पर कचोरा रोड़ पर बनी बम्बा की पुलिया के पास गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

घटना का विवरण- थाना फरिहा पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 141/25 में नामजद अभियुक्त विजय पुत्र जगदीश प्रसाद उर्फ जागन सिंह निवासी ग्राम बरथरा थाना फरिहा जनपद फिरोजाबाद को गिरफ्तार कर अभियुक्त विजय से कड़ाई से पूछताछ की गयी पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने बताया कि दिनाँक 17-08-2025 को मैं स्वागेश को शराब पार्टी करने के लिये बोलकर अपनी मोटर साइकिल पर बैठाकर अवागढ़ से गया था जहाँ मैंने अपने अन्य साथियों अभियुक्तगण1.आशुतोष उर्फ अकिंत,

2.चिन्टु पुत्र लटूरी माथुर, 3.गौरव माथुर पुत्र राजपाल को कॉल/मैसेज कर बुला लिया जिसके पश्चात स्वागेश को लेकर थाना जलेसर जनपद एटा क्षेत्रान्तर्गत स्थित बम्बे की पुलिया पर बैठकर हमारे द्वारा शराब पी गयी। शराब पीने के पश्चात नशा होने पर मैंने अपने अन्य साथियों के सहयोग से स्वागेश को थाना पिलुआ जनपद एटा क्षेत्रान्तर्गत बंथल-कुतुबपुर रोड़ पर नहर की पटरी पर ले जाकर स्वागेश का लगा दबाकर हत्या कर दी तथा स्वागेश के कपड़े उतारकर शव को हजारा नहर में फैंक दिया। तथा मौके से फरार हो गये।

पुलिस टीम द्वारा मृतक का शव बरामद कर मु0अ0सं0 141/25 में 141/25 धारा 140(1)/61(2) बीएनएस0 में धारा 103(1)/238/3(5) बीएनएस0 की बढोत्तरी कर अभियुक्तों के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण-

1.आशुतोष उर्फ अकिंत प्रधान पुत्र मनोज माथुर निवासी ग्राम पीपल गाँव खटुआ थाना सिकन्दराराऊ जनपद हाथरस उम्र करीव 20 वर्ष

2.चिन्टु पुत्र लटूरी माथुर निवासी ग्राम पीपल गाँव खटुआ थाना सिकन्दराराऊ जनपद हाथरस उम्र करीव 24 वर्ष

3.गौरव माथुर पुत्र राजपाल माथुर निवासी ग्राम पीपल गाँव खटुआ थाना सिकन्दराराऊ जनपद हाथरस उम्र करीव 26 वर्ष

आपराधिक इतिहास अभियुक्त चिन्टू उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 388/2024 धारा 60 आबकारी एक्ट थाना पिपलगंवा जनपद हाथरस

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. थानाध्यक्ष राजीव कुमार थाना फरिहा जनपद फिरोजाबाद।
2. उ0नि0 अमित कुमार तौमर सर्विलांस व एसओजी प्रभारी।
2. उ0नि0 सतीशचन्द्र थाना फरिहा जनपद फिरोजाबाद।
3. उ0नि0 उदय सिंह थाना फरिहा जनपद फिरोजाबाद।
4. है0कां0736 सुशील एसओजी जनपद फिरोजाबाद।
5. कां0 724 प्रभाष थाना फरिहा जनपद फिरोजाबाद।
6. कां0 714 नितिन कुमार थाना फरिहा जनपद फिरोजाबाद।
7. का0 879 जय प्रकाश सर्विलांस जनपद फिरोजाबाद।
8. कां0 118 रघुराज सर्विलांस टीम जनपद फिरोजाबाद।